The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

Title

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRI CHAND RAM: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Minister of Works and Housing is not present. (*Interruptions*) Where is the next Minister? He has come. Let us adjourn for Lunch.

MR SPEAKER: You have accepted that. What can I do?

PROF. P. G. MAVALANKAR: People are under this impression that there will be lunch hour. Kindly adjourn the House for an hour.

13.24 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

MR. CHAIRMAN: I put it to the House whether lunch hour be suspended.

SEVERAL MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, there is no lunch hour. That is what the Speaker's told me to ask you.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Lunch hour was suspended earlier. Now it is being restored. We want to restore the lunch hour.

MR. CHAIRMAN: If it is agreeable then, those in favour may please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: Aye.

MR. CHAIRMAN: Those against may please say 'No'. There is no one against. The motion is carried. We adjourn now and we will meet again at 2.25 P.M.

13.25 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Twenty-five Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-four Minutes past Fourteen of the Clock.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sikandar Bakht.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): With your permission, Madam Chairman I beg to move:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Madam Chairman, the Wakf Act of 1954 was made applicable to Delhi by the Wakf (Amendment) Act, 1959. The partition of the country had created a problem relating to the management of Wakf properties. To save the title of these properties from being lost on account of being in adverse possession for more than 12 years, the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act 1959 was enacted to extend upto the 15th August, 1967 so that the Wakf Boards constituted under the Wakf Act, can institute suits for recovery of such wakf properties. On account of inability of Wakf Board to complete

[Shri Sikandar Bakht]

survey of property, the period of limitation was further extended twice by the Government one in 1967 and the other in 1969. In spite of these extensions, the request for further extension of limitation kept coming in. Considering that it may not be possible to extend the period of limitation for all the States, the State Wakf Boards were advised to approach their respective Governments for further extension. In the case of Delhi, the period of limitation was extended first upto 31st December 1972 by the Extension of Limitation Act, 1972 and then again upto 31st December, 1975 by the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Act, 1974. The Delhi Wakf Board again approached the Delhi Administration on 18th December 1975 for further extension of the period of Limitation. They said that they were not in a position to file the suits against the unauthorised occupants of the wakf properties in Delhi and the survey of all the properties has not been completed. As the survey is still required to be completed, it is not possible to know the exact number of wakf properties under unauthorised possession. For this purpose, the provisions of the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, have to be invoked. I therefore request that the Bill may be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Madam Chairman we have before us Wakfs Bill in order to extend the limitation in the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act. It is most unfortunate that in spite of the lapse of such a long period, even the survey has not been completed, not to speak of the restoration of the properties which are in adverse possession. This is a very sad commentary on the management of the Wakfs properties. I must therefore emphasise the necessity to move both with sincerity and speed in the matter of completion of this survey. The hon. Minister has not sought to take this House into confidence as to what are those difficulties because of which even a survey has not been completed. My whole purpose of rising today is to emphasise this fact and that justice delayed is justice denied. And it is necessary that proper steps should be taken with speed and with sincerity. Let us know what are those difficulties because of which the survey has not been completed. Every time the Government coming before this House and asking for extension of limitation of the period because the survey has not been completed is rather an unfortunate occasion. Then, I must say let us hope from our new Minister and let him assure us as to how much more time will be needed for the completion of survey; and then secondly also have expeditious move in order to see that all these adverse possession are put an end to. It is very unfortunate that the properites of several mosques and others are still under adverse possession and I hope that the matter will be taken up with necessary speed. I need not dialate further upon this particular subject.

There is one more point which I have to place briefly before the House. The Public Wakfs Act requires a number of changes. There is need for comprehensive amendment to the entire Act. Let there not be mere piecemeal amendments. I understand there was already an enquiry committee to go into the whole question thoroughly and to report about the necessary amendments required in the Act. It is surprising and shocking that the committee took unduly long time a period of seven years, to suggest what changes were needed in the Act. After taking such a long time, after the committee members had moved throughout India and I should say, wasted a lot of time and money and after spending

a long period of seven years merely to suggest a change in the Act despite all that the matter hangs in the balance. Let us therefore know what is there in the mind of the hon. Minister with respect to the comprehensive amendments to the Public Wakf Act in order to make it effective and remove various difficulties and to see that the whole board also functioned smoothly and performed the functions for which they were put up. I hope the points that I had raised will receive due consideration.

I want an assurance from the hon. Minister about a time bound programme with respect to the completion of the survey and an end to adverse possession of the properties of the wakfs and secondly, an assurance with respect to a comprehensive amendment of the Public Wakf Act.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति जी, चूंकि वक्फ बोर्ड का मामला है इस वास्ते मैं उर्दू में बोलना चाहता हूं। इतने जमाने के बाद भी सर्वे मुकम्मिल नही हुआ है इसकी जिम्मेदारी या तो वक्फ बोर्ड पर है, या जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड है उन पर है। तो आप किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी मुकर्रर कर के काम कीजिए अगर वक्फ बोर्ड में नोमिनेशन करते जायेंगे, कोई काम नही करेंगे बल्कि पैसा इधर उधर खर्च करेंगे और आखिर में उनका कोई काम नही होगा और एक बार एक्सटेंशन हुआ, दूसरी बार एक्सटेंशन मिला, तीसरी बार मिला, इस तरह से कब तक चलेगा। इसको कभी न कभी रोकना चाहिए।

इस बीच मे जो वक्फ प्रोपर्टीज हैं जब सर्वे ही नही हुआ है कि आपकी कितनी जायदाद है, यह मालूम ही नही है, तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग नाजायज कब्जा किए हुए होंगे। तो उनको फायदा हो रहा है। नाजायज कब्जा जब किसी का हो जायगा तो उसको निकालने के वास्ते या तो अख्तियारात वक्फ बोर्ड को होंगे या गवर्नमेंट को हैं या नही, मुझे पता नही। और उसके वास्ते कानून पास करना पड़ता है। क्योंकि कानून किसी को नाजायज कब्जे से बेदखल नहीं करता हैं। बेदखल करने वाला ऐग्जीक्यूटिव अफसर होता है। तो क्या ऐग्जीक्यूटिव अफसर को पूरी पावर्स है? मेरे जिले मे बहुत से ऐसे मामले सामने आये हैं, और बाज वक्त जब निकालने की कोशिश करेंगे तो लोग गलत किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता जब कभी सर्वे करके देगा तो ऐग्जीक्यूटिव अफसर, कमिश्नर कलेक्टर जो भी जिले का होता है उसको फोरन ऐक्शन लेना चाहिए क्योंकि देर करने से कई किस्म की अफवाहें फैलती है। तो इस वास्ते अपने जमाने मे मेहरबानी कर के इन वक्फ प्रापर्टी का पूरा सर्वे जल्दी कराइये और उसके वास्ते कितना टाइम लगेगा, यह भी फरमाइये और उस टाइम पर पूरी पाबन्दी से इसरार कीजिए। अगर एक बोर्ड काम नही करता है तो फोरन उस बोर्ड को निकालकर और बोर्ड बनाइये, लेकिन पोलिटिकल लैवल पर वक्फ बोर्ड न बनाइये। जो खुदा का खौफ रखते है, ईमान रखते है, उनको बोर्ड मे लीजिए ताकि अच्छा काम हो सके।

मै समझता हू कि हमारे आन्ध्र प्रदेश और जिले मे अच्छा काम हो रहा है, उसको मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। मेहरबानी कर के आप तफसील से इसकी इन्क्वायरी कराकर जल्दी से जल्दी इसका इतजाम कराइये, यह आपकी ड्यूटी है, लोग आपके अहसान को मानेंगे।

आप अच्छा काम करते है, मैं आपको इस मुबारक कदम के लिये मुबारकबाद देता हू।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Madam Chairman, with regard to these wakf boards and wakf properties, I would tell the Minister that they are not being properly managed and the properties which are in the States i.e. at many places, are not

[Shri P. Rajagopal Naidu]

being surveyed and they are not gazetted. Even when the muslims send petitions to the wakf boards, the wakf boards are not taking interest, they are not taking cognisance, with the result they are not getting all these things surveyed and gazetted. I know in my own place—Aragunda Venkatagiri and so many places—the wakf properties are in other hands I do not know why these things are not being surveyed. Therefore, I want to suggest to the Minister that the Wakf Board Act must be revised in such a way that it is quite possible for anybody who manages them to get all the properties surveyed and gazetted.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Will you give us an assurance of a time-bound programme to bring forward the amendments

श्री सिकन्दर बख्त मैडम चेयरमैन, जिस चीज के लिये मै खास तौर से इस हाउस के सामने हाजिर हुआ हू वह बहुत ही सीमित और महदूद मकसद के लिये है। कुछ बाते इस मौजूदा बिल की सीमा के बाहर की है, लेकिन चूकि मेम्बरो ने कुछ कसर्न का इजहार किया है, मै उनके मुताल्लिक भी कुछ न कुछ अर्ज करना चाहूगा।

यों तो वक्फ की सर्वे पूरी नही हुई है, इसका एतराफ करने के बाद ही यह एक्सटेंशन का बिल लेकर मै खिदमत मे हाजिर हुआ हू। वह क्यो नही हुआ, मैं इसके लिये सिर्फ रिग्रेट कर सकता हू, वजह तो सिवाय सुस्ती और काहिली के और क्या हो सकती है। मुझे अफसोस है, ऐसा नही होना चाहिये था। मैं आनरेबल मेम्बर, की तजवीज से इत्तिफाक करता हू हालाकि यह मामला लोकल स्टेट बोर्डज का और स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन सैंट्रल वक्फ बोर्ड कोशिश कर रहा है कि वह निगरानी रखे ताकि यह काम जल्दी हो, और टाइम बाउन्ड की बात को तो यह बिल ठीक ही कर रहा है कि 1980 तक के लिये इसको एक्सटेंड किया जाये।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): सभापति महोदया, स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चुनाव हुए वर्षों हो गये, कोई ध्यान ही नही देता है। उसके कारण वक्फ से संबंधित सारी प्रापर्टीज को नुक्सान हो रहा है। बराबर उसका आग्रह भी किया जाता है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नही दिया जाता। सेन्ट्रल वक्फ की भी यही दशा है।

सभापति महोदय आप इस समय उनको इन्ट्रप्ट करने की जगह जब इस पर थर्ड रीडिंग हो, तो बोलिये।

श्री सिकन्दर बख्त . मैं उनकी परेशानी दूर कर दू कि वक्फ बोर्ड जो है। ये एक्ट के मातहत बनाये जाते है और उनके लिये समय मुकर्रर है और उस समय के बाद बनाना ही होता है। उसके बाद कोई चारा नही है। मेरे नोटिस मे कम-से कम ऐसी कोई बात नही है कि किसी जगह कोई वक्फ बोर्ड मुकर्रर समय से ज्यादा रुका हुआ है।

एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी जो मुकर्रर को गई थी फार एनप्रीहैंसिव वक्फ एक्ट, तो मैं अर्ज करना चाहूगा कि उसकी रिकमैंडेशन हासिल की गई है जो कि अडर एक्जामिनेशन है और खास तौर पर उसमे दो पहलू देखने की जरूरत है कि कौनसी बात ऐसी है कि जिसके इन्ट्रोड्यूस करने से कोई कान्स्टीट्यूशनल कान्ट्रेडिक्शन न हो या कोई लीगल डिफिकल्टी पैदा न हो। वह जेरे गौर है। अब यह तो मैं अभी नहीं कह सकता, अगर मुझे मालूम होता कि ग र करने की भी मियाद मुकर्रर होती है तो जरूर कर सकता था।

दूसरी बात यह कह रहा था कि हमारे आनरेबल मेम्बर, ने कहा कि एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास इस किस्म की ताकत होनी चाहिये कि बगैर अदालती कार्यवाही के वह अगर एडवर्स पोजीशन मे जायदाद हो, तो वह मुक्त करा सके। यह मुमकिन नही है, क्योकि कानूनी दिक्कते हैं।

इसलिये यह एक्सटैंशन आफ लिमिटेशन के लिये हम बाकायदा यहां खिदमत में हाजिर हुए हैं। अदालत में मुकदमा दायर करना होता है कि एडवर्स पोंजीशन है। अब 12 बरस से ज्यादा का एडवर्स पोजीशन न हो, उसके लिये यह एक्सटैंशन आफ लिमिटेशन की दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत मे हाजिर हुए हैं। मैं वाथेह तौर पर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह यकीन जरूर दिलाना चाहता हू कि दिल्ली मे दोबारा एक्सटेंशन की जरूरत न पडे, उस के लिए पूरी जद्दो जहद, कोशिश और निगरानी की जायेगी।

श्री डी० एम० बनातवाला : यह तो मुबहम जवाब है।

श्री सिकन्दर बख्त बिलकुल मुबहम नही हैं। मैंने 31 दिसम्बर, 1980 तक के लिए एक्स-टेंशन की दरख्वास्त की है? हालांकि यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली स्टेट वक्फ बोर्ड का काम है, लेकिन मैंने अर्ज किया है कि सैंट्रल वक्फ कौंसिल इस की निगरानी करेगी, ताकि दोबारा इस की एक्सटेंशन न होने पाये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : कौन सरवे कर रहा है ?

श्री सिकन्दर बख्त . दिल्ली मे वक्फ कमिश्नर कर रहे है।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments. I shall now put clause 2 and clause 1 to the vote of the House. The question is:

"That clauses 2 and 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 1 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Enacting Formula and the Title to the vote of the House.

The question is

"That the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SIKANDAR BAKHT: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed"

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर): सभापति महोदय, जैसा कि श्री साठे ने कहा है, क्या मंत्री महोदय कोई समय-सीमा तय कर सकते है कि कमिश्नर कब तक इस कार्य को पूरा कर देगें या 1980 के बाद और समय नही बढाया जायगा। विभिन्न राज्यो मैं वक्फ बोर्ड ठीक तरह से काम नही कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय कृपा कर के यहां से निर्देश देगें, ताकि राज्यो के वक्फ बोर्ड ठीक तरह से काम करे ? क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध मे कोई सम्मिलित कानून बनाने की कोशिश करेगे ? मंत्री महोदय अपने जवाब में कहेंगे कि यह राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन फिर भी वह इस प्रकार के निर्देश दें कि सभी राज्यो मे एक सरीखी व्यवस्था हो, और सभी यह महसूस कर सके कि विभिन्न राज्यों में इस बारे में कोई भेदभाव या भिन्नता

श्री लक्ष्मी नारायण [पांडय]

नही है । तथा वक्फ जो कई मामलो मे अपने को असहाय पाते हैं सक्षमतापूर्वक काम कर सके ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) सभापति महोदय, मैं इस बिल के सदर्भ मे केवल एक दो प्रश्नो की ओर मत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू ।

हर राज्य मे वक्फ बाडं काम कर रहे है, लेकिन उन का काम सतोषजनक नहीं है । मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हू। ऐसा लगता है कि वहा के बोर्ड को कोई देखने वाला नही है । जहां तक वक्फ की प्रापर्टी का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति का मकान किराये पर देता है, लेकिन वह व्यक्ति किसी दूसरे को ज्यादा किराये पर सबलेट कर देता है और खुद मुनाफा कमाता है । इस तरह की और भी बहुत सी बातें है। वक्फ बोर्ड का आर्गनाइजेशन भी दोषपूर्ण है । एक ही अधिकारी को बार-बार नामीनेट किया जाता है, और इस प्रकार वह बहुत लम्बे समय तक अपने पद पर बना रहता है । इस लिए बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक सैल बनाना चाहिए । इस को देखना चाहिए कि किस तरह से वक्फ की फक्शनिग बहुत अच्छी हो और कारगर रूप मे जो वक्फ का उद्देश्य है उस की पूर्ति हो और उस का ठीक से उपयोग हो । उससे जितना लाभ जिसको होना चाहिए उसको वह हो सके । यह ठीक से होता नही । कुछ लोग बने हैं ना मठाधीश की तरह जमकर बैठे है । इसलिए इस के ऊपर फिर मे विचार करने की जरूरत है और इस को रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता हैं । मैं चाहूगा कि मत्री महोदय इसपर मुझे आश्वासन देगे कि इस दिशा मे कोई कार्यवाही करेंगे ।

श्री बसंत साठे (अकोला) सभापति महोदया, मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हू । आप ने कहा कि 1980 तक आप एक्सटेंशन माग रहे हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस दरम्यान आप का जो कुछ सर्वे वगैरह का काम है वह पूरा हो जायगा और जो रेकमेडेशस आप के पास कमेटी की आ गई है उन पर गौर पूरा हो जायगा और तब तक आप कोई अमेडमेट ऐक्ट मुकम्मिल तरीके से इस सारे कानून मे ले आएगे ? जो तरमीम आप को इस में लानी है वह आप तब तक ला सकेंगे ? क्योकि जैसे कि हमारे दोस्तो ने अर्ज किया आज बहुत गडबडिया वक्फ कानून मे हो रही है और जैसे कि दूसरे ट्रस्ट्स मे और दूसरे कानूनो हैं उसमें तरह से यहा भी मठाधीश लोग बन गये और कायम हो गए। दिल्ली मे भी है, आप जानते है और उस के नीचे हर तरह की हरा फेरी, अफरा-तफरी हो रही है। पैसे का कोई हिसाब नही, जायदाद का कोई हिसाब नही । यदि जो सारे मामले हो रहे है इस को ठीक करने के लिए जा कानून मे तरमीम करना चाहते है क्या 1980 के पहले या हा सके ता उस के भी पहले ऐसी तरमीम आप लाएगे, यह आश्वासन आप इस सदन का देग ? यही मेरी दरख्वास्त है ।

श्री केशवराव धोडगे (नांदेड) : सभापति महोदया, मैं आप के माध्यम से मत्री महोदय से गुजारिश करूगा कि वक्फ का जो कारोबार है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का खैर, छोड दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के अन्दर का जो हमारा तर्जबा है वह बहुत ही बुरा है । वक्फ की प्रापर्टी माले गीमत की प्रापर्टी बन चुकी है । जैसे कि कोई पनाहगाजी होता है वैसे वह वक्फ की प्रापर्टी पनाहगाजी बन चुकी है । इस के लिए कोई वारिस है या नही ? जिस के हाथ मे डंडा है वही उसका मालिक बन जाता है । जैसे बडे-बडे मंदिरो की प्रापर्टी चन्द पुजारियों के नाम से हो गई । वही हाल इस का भी है । खुद मेरे बहादुरपुरा गाव के अन्दर एक सार्वजनिक विट्ठल मन्दिर है, उस का पुजारी एक नरहरी अढयेवार था ।

उस ने खुद अपने को नरहरि बिठोबा बनाकर बिठोबा को ही बाप बना दिया और पूरी प्रापर्टी जमीन हुज्म व जब्त कर ली। इसी तरह से कई काजी और मुल्लाओं ने, दरगाहे शरीफ के नाम से हजारों एकड की जमीन थी, कोई इनामी जमीन थी, उस इनामी जमीन को उन्होंने फरोख्त कर दिया और खुदा और मस्जिद और मजहब के नाम से उस प्रापर्टी को माले गनीमत समझ कर लूट लिया। तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए। जिन लोगो ने मजहब के नाम पर इस प्रापर्टी का नाजायज फायदा उठा कर किसी को लूटा हैं तो इस मे तरमीम होना बहुत जरूरी है। सदर साहब इस के साथ साथ मैं यह और गुजारिश करूंगा कि यह वक्फ का जो मसला है वह बहुत नाजूक मसला है। इसकी जितनी प्रापर्टी है वह नोटिस मे गजेट मे आनी चाहिए। आज वक्फ बोर्ड कह देता हैं कि हमारी प्रापर्टी इतनी है बस खत्म हो जाता है। अगर कोई दूसरा आदमी कहता है कि यह प्रापर्टी उस की नही है तो वहा पर फिरकापरस्ती का झगडा पैदा हो जाता हैं। यह गलत बात है। मैं आप के माध्यम से सरकार को गुजारिश करूंगा कि ऐसा वक्फ कानून हो जिस के द्वारा किसी के साथ नाइंसाफी न हो और जिस मकसद के लिए एक मवेबल और इम्मूवबल प्रापर्टी रखी गई है उसके लिए सही और जायज तौर से उस का इस्तेमाल हो। अफसोस की बात हैं कि वक्फ की ऐसी लाखो करोडो रुपए की दौलत हैं मगर जिस मकसद के लिए रखी गई है उस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल नही किया जाता है बल्कि बडे बडे जो दलाल है, वे दलाल ही उस का इस्तेमाल करते है और उस मजहब को, उस मंदिर को, उस मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश करते है। इसलिए मैं यह कहूगा कि जो भगवान को और परवरदिगारे आलम को भी रहन और गिरवी रखना चाहते हैं, उस को लूटने का साधन बनाना चाहते हैं उनके बारे मे सजा देने की भी आपके कानून मे कोई चीज होनी चाहिए। जो आदमी, जो मुल्ला या काजी मजहब के नाम परगैरइस्तेमाल इसका करे उस को भी सजा मिलना बहुत जरूरी है। वरना वक्फ की प्रापर्टी चोरों की प्रापर्टी बन जाएगी और झगडे ज्यादा बढेंगे।

15 00 hrs.

खुदा के नाम पर कई एकड जमीने होती हैं जबकि उसके बन्दे खेतिहर मजदूर है, किसान है। उसका जमीदार है खुदा और उसके पुजारी उसके जमीदार होते है जबकि उनके भक्त भूमिहीन हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह की प्रापर्टीज का जो आज भी नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और इस तरह की प्रापर्टी के नाम पर सियासत खेली जा रही है दूसरे मजहब के साथ भी नाइन्साफी की जा रही है। और मजहब के नाम पर जो चल रहा है उसको हम तोडना चाहते है या नही? मुझे फख्र है कि महाराष्ट्र मे पढरपुर के बिठोबा मन्दिर के नेशनलाईजेशन के बारे मे और वहा के पुजारियो को हटाने के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया गया जिसके सदर थे बैरिस्टर अतुले साहब जो कि एक मुसलमान हैं। मुझे फख्र है कि मैं भी उस कमेटी मे मौजूद था। एक मुसलमान होने के बावजूद अतुले साहब वहा पर सदर हो सकते है लेकिन वक्फ बोर्ड मे—हालाकि हम जमहूरियत का, समाजवाद का सक्यूलरिज्म का, नाम लेते है—हिन्दुओ का एक भी नुमाइन्दा नाकाबिल बर्दाश्त है, हम कुफ्र बन जाते है। हालात के लिहाज से और जमाने की तबदीली के लिहाज से एक हिन्दू को भी आप उसमे लीजिए ताकि वह भी अपने ख्यालात का इजहार कर सके। हिन्दू मुसलमान भाई भाई है। मुहरम मे वे मदद करते है, सवारी पकडते हैं अवकाफ के कानून से

[श्री केशवराव धोंडगे]

दरगाह मे हम चल सकते हैं, हमारे उर्स, सदक, मन्नत, रोट, चलता है, मोर्चे चलते हैं लेकिन एक हिन्दू के आने से वक्फ बोर्ड खतरे मे आ जाता है। यह अजीब बात है। लिहाजा मेरी गुजारिश है मजहब के नाम पर खुदा के नाम पर जो प्रापर्टी है उसका नेशनलाईज़ेशन करना बहुत जरूरी है। मैं गुजारिश करूगा कि किसी मदिर या मस्जिद के नाम से आप प्रापर्टी मत रखें। इस चीज को आप खत्म करे और साजवादी दृष्टिकोण से जमहूरियत की बुनियाद रखने हुए ऐसी प्रापर्टी की मिल्कियत मे किसी काजी या मुल्ला को मत रखें बल्कि पूरी कोम को रखे। वही उस की मालिक है। उस के लिए एक ऐसा बोर्ड कायम करे जिसमे हर मजहब और मिल्लत के लोग रहे और इस्लाम का जो बुनियादी फल्सफा है वह भी टूटने न पाये। अगर इस तरह की कोई तरमीम वक्फ एक्ट और बोर्ड मे नही होती है तो उसका मतलब है कि हम भी वही चाल चल रहे हैं। जो पहले चलते थे। सन् 1980 तक आपने एक्सटेशन दिया है लेकिन उसके बाद दोबारा वही चीज न हो। जो इर्रेग्युलैरिटीज़ हो चुकी है वह दुरुस्त हो और वक्फ के क्वानीन का और बोर्डों का यूनिफिकेशन थ्रू आउट इडिया करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि यह जमाने की माग है। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हू। जय क्राति।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, मैं आनरेबिल मेम्बर का बहुत शुक्रगुजार हू कि उन्होने मेरी वाकिफयत मे बहुत इजाफा किया लेकिन इस वक्त जो बिल था, मैं ने पहले भी अर्ज किया बहुत सीमित मकसद से सिर्फ दिल्ली की लिमिटेशन के एक्सटेशन के लिए ज़ेरे गौर था। महाराष्ट्र मे क्या हो रहा है उसको बताने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हू, मेरी वाकिफयत मे उससे बहुत इजाफा हुआ है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हू कि सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल मे हमारी पूरी कोशिश होगी लेकिन इस दफा जो एक्सटेंशन कराया है उसमे दोबारा इजाफा करने की जरूरत पेश न आये। वक्फ बोर्ड के रिआर्गेनाईजेशन का जहां तक मआम्ला है वह वक्फ ऐक्ट के मातहत है लेकिन दिल्ली बोर्ड का जहा तक ताल्लुक है उसका टर्न अगस्त 1978 मे खत्म हो रहा है। यह ठीक है अगर इक्वायरी वगैरह की जाये तो उसको सुपरसीड किया जा सकता है लेकिन 4-6 महीने के लिए इस किस्म की सख्त अमल मे लाई जाये, मै समझता हू गैर जरूरी है। हर वक्फ बोर्ड का वक्फ ऐक्ट के मातहत रिआर्गेनाईजेशन होगा और जो आनरेबल मेम्बर्स की तजवीजे है, जो सजेश्चन है, उन को जरूर गौर रखा जायेगा जहा तक कानून को बदलने का ताल्लुक है मैं पहले अर्ज कर चुका हू कि जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशात ज़ेरेगौर है और कोई फैसला होते ही उस पर अमल होगा। यह लिमिटेशन 31 दिसम्बर, 1980 तक की है, यह कमेटी की रिकमैण्डेशन्ज से जुडी हुई नही है। मैं उम्मीद करता हू कि यह बिल पास कर दिया जायेगा।

MR CHAIRMAN The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted